न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 19/2022 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2022/43

अनवान

1. श्री लालीया पिता हरचन्दा उर्फ हरसाना गमेती निवासी चिखला तहसील कोटडा जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध प्र.सं. 253/2021 न्यायालय तहसीलदार कोटडा आदेश दिनांक 03.11.2021

* निर्णय *

दिनांक — 05-01-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का मय धारा 5 अवधी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि पटवारी हल्का गुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार में अपीलाण्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की गयी कि अपीलाण्ट /विपक्षी ने मौजा चिखला में आराजी नम्बर 486 रकबा 1 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसको बेदखल किया जावे। पटवारी की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिनांक 03.11.2021 को पारित कर दिया । जिससे असन्तुष्ट होकर माननीय आप न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट /विपक्षी को कोई तामील नहीं हुई तथा जो भी अंगुठा निशानी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है जो पूर्ण रूप से असत्य होकर फर्जी है। अपीलाण्ट /विपक्षी माननीय न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। उक्त प्रकरण में तामील हो जाती तो अपने तरफ से जवाब देही कर दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

रूप से सिद्ध करवाता लेकिन तामिल नही होने की वजह से अपीलाण्ट /विपक्षी को अपने विरूद्ध दर्ज हुए प्रकरण की कोई जानकारी नही रही व न थी। वादग्रस्त आराजी के मुत्तलिक अपीलाण्ट /विपक्षी ने अलग से उपखण्ड अधिकारी कोटडा में कार्यवाही कर रखी है। जिसे दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने विरूद्ध दर्ज हुए प्रकरण का अपने विरूद्ध हुए निर्णय को नहीं होने देता। मौजा चिखला में स्थित आराजी न. 486 रकबा 1 बीघा अपीलाण्ट/विपक्षी के पिता हरचन्दा को आवंटन की पत्रावली सं. 490/1977 के जरिये उक्त आराजी आवंटन हुई तथा आंवटित होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 46 के जरिये राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी के हक से प्रविष्टी दर्ज हुई तत्पश्चात नामांकन संख्या 86 दिनांक 17.12.1988 को अपीलाण्ट /विपक्षी के पिता को गैर खातेदारी हक से खातेदारी का अधिकार मिला जिसकी पृविष्टी जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 दर्ज है। संवत 2050 से 2053 की जमाबन्दी में उक्त आराजी को राजस्व अधिकारी द्वारा सेवन से बिलानाम दर्ज कर दिया लेकिन उक्त पृविष्टी की जानकारी अपीलाण्ट /विपक्षी के पिता को कभी भी नही हो पायी तत्पश्चात दिनांक 04.10.2003 को अपीलाण्ट के पिता हरचन्दा की मृत्यु हो गयी। उक्त आराजी पर लगभग 45 वर्ष से भी अधिक समय से आज दिन तक मुतवातिर आधिपत्य चला आ रहा है। आज से 3 वर्ष पूर्व जानकारी में आते ही नकल प्राप्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा में वाद प्रस्तुत किया है। आराजी नम्बर 486 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है जबकि विपक्षी के पिता रेकार्डेड खातेदार काश्तकार थे लेकिन राजस्व अधिकारी की भूल से बिलानाम दर्ज हो गई। दिनांक 2.5.2022 को पटवारी ने विपक्षी को सूचना दी की आपके विरूद्ध आराजी नम्बर 486 पर अतिक्रमण का फैसला हुआ है। इस पर दिनांक 6.5.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18.5.2022 को निर्णय की प्रतिलिपि मिली प्रथम बार ज्ञान होने से तुरंत अपील प्रस्तुत की जो अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील अवधि को कंडोन फरमाते हुए अवधि में शुमार फरमायी जाना न्यायहित में होगा। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट /विपक्षी स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.11.2021 व प्रकरण सं. 253/2021 ना.कब्जा में किये गये आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं पृथक से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडा द्वारा मामले मे प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तहसीलदार द्वारा बिना सूने निर्णय पारित करना बताया एवं इसी संबंध मे उपखण्ड अधिकारी कोटडा के न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताते हुए तहसीलदार के प्र.स. 253/2021 ना.क. में निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 03.11.2021 को त्रुटि पूर्ण बताया एवं उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि तसहसीलदार द्वारा सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी को सुनते हुए निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। उक्त निर्णय तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.11.2021 में पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2022 पेश कर दिनांक 18.05.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त करना बताया। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली के गंभीरता पूर्वक अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा चिखला तहसील कोटडा की बिलानाम आराजी संख्या 486 रकबा 1 बीघा भूमि पर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवेध रूप से अतिक्रमण करने से संबंधित है। मामले मे तहसीलदार द्वारा नियमानुसार प्रकरण संख्या 253/2021 ना.क. का पंजीबद्ध कर बाद सुनवाई दिनांक 03.11.2021 को अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये है। अपीलान्ट्स का कथन है कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आदशिका दिनांक 3.11.2021 को अपीलाण्ट स्वंय उपस्थित था एवं उसके द्वारा अंगुठा निशानी लगा रखी है। बेदखलनामा एवं मौका पर्चा फर्द निलामी पर भी अपीलाण्ट की अंगुठा निशानी है। तहसीलदार कोटडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आराजी पूर्व में अपने पिता हरचन्दा को आंवटित होना बताया एवं इस बाबत् माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा में घोषणा का वाद विचाराधीन होना बताया है। उक्त भूमि को लेकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा प्रकरण पर मेरिट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जावेगा। रहा प्रश्न तहसीलदार कोटडा द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने निर्णय पारित करने का , इस तथ्य का खण्डन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के मूल पत्रावली के अवलोकन से हो जाता है क्योंकि उक्त पत्रावली की आदशिका दिनांक 3.11.2021, बेदखलनामा एवं मौका पर्चा फर्द निलामी पर अपीलाण्ट की अंगुठा निशानी होकर उक्त कार्यवाही अपीलाण्ट की उपस्थिति में होना प्रतीत होता है। अतः केवल मात्र कथन के आधार पर उक्त अपीलाण्ट को जानाकरी नहीं होने का तथ्या माना नहीं जा सकता है। भूमि वर्तमान में बिलानाम किस्म मगरी होकर अपीलाण्ट का कब्जा होने से तहसीलदार द्वारा बिलानाम भूमि पर की गई कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार है। इस प्रकार प्रकरण मे तहसीलदार कोटडा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया नियमानुसार है, जिसमे किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडा द्वारा प्रकरण संख्या 253/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 03.11.2021 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested